हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

सख्या ई०एक्स०एन०–एफ (10)8 / 2021–वॉल्यूम–II शिमला–02, 20 अगस्त 2026

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का अधिनियम संख्याक 61) की धारा 78 के साथ पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. इस विभाग की अधिसूचना संख्या ईएक्सएन–14–7 / 75–पार्ट–II तारीख 01 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 दिसम्बर, 1989 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते है. अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ, (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (द्वितीय सशोधन) नियम, 2026 है।

   (2) इन नियमो का सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तार होगा।

   (3) यह नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1989 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खण्ड (4–क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

   "(4–क) "नोडल अधिकारी" से, कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित संबंद्ध ब्लॉक (खण्ड) का कोई अधिकारी जो कृषि विकास अधिकारी (ए.डी.ओ.) की पंक्ति से नीचे का न हो, अभिप्रेत है।"

3. नियम 29 का संशोधनः उक्त नियमों के नियम 29 में,

   (क) उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

   "(1) चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए भांग अथवा औद्योगिक प्रयोजन के लिए भांग की खेती हेतु, खेती के लिए अनुज्ञप्तिधारी संस्था, जिसमे खेती के लिए अनुज्ञप्त विनिर्माण इकाई तथा अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए अनुज्ञप्त संस्था भी सम्मिलित है, द्वारा बीज किसी प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किए जाएंगे। ऐसा प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता बीज स्थानीय रूप से अथवा राज्य के भीतर या अन्य राज्यों से प्राप्त कर सकेगा अथवा भारत के बाहर से बीज आयात कर सकेगा, बशर्ते कि

अन्य राज्यों से आयातित बीजों, राज्य के भीतर प्राप्त बीजों (जिनमें स्थानीय/देशज बीज भी सम्मिलित हैं) अथवा भारत के बाहर से आयातित बीजों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाए।

प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता, भांग की खेती के लिए अनुज्ञप्त संस्था (प्ररूप सीसी–2, सीएच–2. सीसी–एमसी 2. सीएच एमसी–2, सीसी आर तथा सीएच आर में अनुज्ञप्ति धारक) को बीज की आपूर्ति के समय क्रेता को निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज उपलब्ध कराएगा :–

(i) यदि बीज स्थानीय (देशज) रूप से अथवा राज्य के भीतर या अन्य राज्यों से प्राप्त किए गए हो, तो प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता बीजों की खरीद से संबंधित दस्तावेज, जिसमें एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रयोगशाला द्वारा जारी विश्लेषण प्रमाण–पत्र भी सम्मिलित होगा, उपलब्ध कराएगा। उक्त प्रमाण–पत्र में कैनाबिनॉइड की शक्ति एवं सांद्रता, बीज का प्रकार (भांग), मादाकृत बीज है अथवा अन्यथा, कैनाविनॉइड प्रोफाइल की परास तथा टीएचसी और सीबीडी के परिवर्ती स्तरों सहित अन्य संबंधित विवरण विनिर्दिष्ट होंगे।

(ii) यदि बीज भारत के बाहर से आयात किए गए हों, तो प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता बीजों के आयात से संबंधित दस्तावेज, जिसमें प्राधिकृत प्रयोगशाला एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रयोगशाला) द्वारा जारी बीज विश्लेषण रिपोर्ट प्रमाण–पत्र भी सम्मिलित होगा, उपलब्ध कराएगा। उक्त रिपोर्ट/प्रमाण–पत्र में कैनाबिनॉइड की शक्ति एवं साद्रता, बीज का प्रकार (भांग), मादाकृत बीज है अथवा अन्यथा, कैनाबिनॉइड प्रोफाइल की परास तथा टीएचसी और सीबीडी के परिवर्ती स्तरों सहित अन्य संबंधित विवरण विनिर्दिष्ट होंगे। इसके अतिरिक्त, निर्यातक देश के राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन द्वारा सत्यापित पादप स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र अथवा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विहित कोई अन्य प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा।

खेती के लिए अनुज्ञप्तिधारी उक्त बीजों की खेती प्रारंभ किए जाने से कम–से–कम 21 दिन पूर्व कृषि विभाग के नोडल अधिकारी को संबंधित प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए बीजों की खरीद से संबंधित दस्तावेज, जिनमें उपर्युक्त प्रमाण–पत्र / बीज विश्लेषण रिपोर्ट, यथाप्रयोज्य, भी सम्मिलित हैं, प्रस्तुत करेगा।"

(ख) उप–नियम (2) के दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

परंतु यह और कि प्ररूप सीसी–एस में अनुज्ञप्ति धारण करने वाला प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता अपने परिसर में केवल उन्हीं बीजों का भंडारण करेगा, जिनके संबंध में प्राधिकृत प्रयोगशाला से विश्लेषण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय रूप से अथवा राज्य के भीतर अथवा देश के भीतर अथवा भारत के बाहर से आयात किए गए बीजों को उनके प्रकार, अर्थात् औद्योगिक या चिकित्सीय उपयोग तथा मादाकृत बीज अथवा अन्यथा, के

आधार पर स्पष्ट रूप से वर्गीकृत, पृथक पृथक तथा अलग अलग भंडारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, बीजो की खरीद के समय प्राधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता, क्रेता को विक्रय किए गए बीजों की गुणवत्ता से संबंधित विश्लेषण प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से जारी करेगा।"

(ग) उप–नियम (3) के (क) खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् –

"(क) चिकित्सीय और वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए भांग की खेती का क्षेत्र संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य का क्षेत्र होगा। बेहतर निगरानी के लिए ऐसा क्षेत्र सुसंगठित एवं भौगोलिक रूप से सन्निहित क्षेत्र तक सीमित होगा। हिमाचल प्रदेश राज्य में इन नियमों के अधीन भांग की खेती के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए भांग की खेती हेतु प्ररूप सीसी–1 में संबंधित नोडल अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। नोडल अधिकारी, अपनी सिफारिश सहित उक्त आवेदन को राबधित जिला आबकारी अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जो अपनी सिफारिश सहित आवेदन को संबंधित समाहर्ता (आबकारी) को अग्रेषित करेगा। समाहर्ता (आबकारी), जिला आबकारी अधिकारी से आवेदन एवं उसकी सिफारिश प्राप्त होने पर, इन नियमों से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान तथा निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन, चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए भांग की खेती हेतु प्ररूप सीसी 2 में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा ।"

(i) वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से कृषि (खेती) के लिए प्रस्तावित भू–जोत भौगोलिक रूप से किसी संलग्न क्षेत्र में पांच बीघा से कम नहीं होगा। न्यूनतम क्षेत्र की सीमा सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों को लागू नहीं होगी;

(ii) आवेदक प्रस्तावित कृषि (खेती) हेतु भूमि के क्षेत्रफल एवं उसकी स्थिति की शुद्धता की पुष्टि करते हुए स्व–प्रमाणित बंध पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो आवेदक की अनुज्ञप्ति तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

(iii) आवेदक कृषक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के साथ विनिर्माता के साथ निष्पादित क्रय अनुबंध की प्रति प्रस्तुत करेगा। यह अनुबंध कृषक के हितों के संरक्षण तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि पूर्व से ही क्रय द्वारा वापस लेने की व्यवस्था विद्यमान हो, जिससे कृषक द्वारा उत्पादित फसल का विनिर्माता द्वारा अनिवार्य रूप से क्रय किया जाए। कृषक को पृथक अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी। कृषक तथा विनिर्माता अनुज्ञप्तिधारी अपनी–अपनी गतिविधियों/संचालन के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। कैनबिस के नियमों एवं शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति

निरस्त कर दी जाएगी तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(iv) आवेदक कृषक आवेदन के साथ भूमि का स्थल–योजना, उसके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) निर्देशांक, जियो टैगिंग तथा गोदाम हेतु निर्धारित क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(v) आवेदक के पास कटाई चक्र प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसा भाण्डागार उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें इस आदेश के उपबंधों के अधीन बोई गई कैनबिस की फसल का भंडारण किया जा सके तथा जो इन आदेशों में विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों का अनुपालन करता हो; और

(vi) अनुज्ञप्तिधारी कृषक द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली खेती–सुविधा में एकरूप मानकीकरण तथा चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए भांग के पौधों/भांग के कच्चे माल की सुरक्षित एवं संधारणीय खेती, कटाई तथा कटाई पश्चात् प्रबंधन के लिए अच्छी कृषि एवं संग्रहण पद्धतियों (जीएसीपी) सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन किया जाएगा।"

4. नियम 30 (क) का संशोधनः उक्त नियमों के नियम 30 (क) में,

(क) उप–नियम (1) के खंड (ञ) में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः– "(ञ) राज्य में (चाहे खेती की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का विकल्प लिया गया हो अथवा नहीं) प्रसंस्करण, विनिर्माण एवं पैकेजिंग इकाई आदि की स्थापना हेतु न्यूनतम पूंजी निवेश (अर्थात् कुल पूजी निवेश) 100 करोड रुपये होगा"।

(ख) उप–नियम (1) में, खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (ढ) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः–

"(ढ) विनिर्माण अनुज्ञप्तिधारी एकरूप मानकीकरण सुनिश्चित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए भांग से निर्मित औषधियों एवं चिकित्सीय उत्पादों का उनकी गुणवत्ता या शुद्धता में किसी प्रकार की कमी आए बिना सुरक्षित रूप से उत्पादन, भंडारण एवं परिवहन किया जाए, अच्छी वितरण पद्धति (जीडीपी) तथा अच्छी विनिर्माण पद्धति (जीएमपी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय विनियामक मानकों का अनुपालन करेगा"।

(ग) उप–नियम (2) में :–

(i) "कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे", के शब्दों के स्थान पर "संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य का क्षेत्र होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "संबंधित जिला नोडल अधिकारी को प्ररूप सीसी–एमसी–1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा", के शब्दों के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश राज्य में संबंधित नोडल अधिकारी को प्ररूप सीसी–एमसी–1 में" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (क) में "तीन एकड" शब्दों के स्थान पर "पाँच बीघा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iv) उप–नियम (2) में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित उप खंड (i) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(i) अनुज्ञप्तिधारी कृषक द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली खेती–सुविधा में एकरूप मानकीकरण तथा चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए भांग के पौधों भांग के कच्चे माल की सुरक्षित एवं संधारणीय खेती, कटाई तथा कटाई पश्चात् प्रबंधन के लिए अच्छी कृषि एवं सग्रहण पद्धतियो (जीडीसीपी) सहित अतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन किया जाएगा।"

(घ) उप नियम (5) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः– "(घ) चिकित्सीय और वैज्ञानिक परीक्षण के प्रयोजनार्थ औषधीय एवं वैज्ञानिक उपयोग हेतु कैनबिस की खेती के लिए क्षेत्र अथवा क्षेत्र सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र होगा। बेहत्तर निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा क्षेत्र सुसंगठित एवं भौगोलिक दृष्टि से सतत् होगा। कैनबिस की खेती केवल अधिसूचित क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में ही की जाएगी।"

5. नियम 34–ग का संशोधन उक्त नियमों के नियम 34–ग के उप–नियम (ख) में "कार्यबल" शब्दों के स्थान पर "जनशक्ति" शब्द रखे जाएंगे।

6. अनुसूची–1 का संशोधनः– अनुसूची–1 में,–

(क) क्रम संख्या 2, स्तम्भ संख्या 3 में अंक "3,00,000" के स्थान पर अंक "1,00,000" रखे जाएंगे।

(ख) क्रम संख्या 4, स्तम्भ 3 में अंक "2,00,00,000" के स्थान पर अंक "1,00,00,000 तथा अंक "10,00,000" के स्थान पर अंक "1,00,000" रखे जाएंगे।

7. प्ररूपों का संशोधनः– इन नियमों से संलग्न "प्ररूप सीसी–एस 1, सीसी–1, सीसी –3, सीसी–एमसी–1, सीसी–एमसी – 3, में "संबंधित जिले का कृषि विभाग का जिला नोडल अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "कृषि विभाग का नोडल अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

"अनुसूची–I"

क्र.सं.	अनुज्ञप्ति के प्रकार	फीस
1.	सीसी–एस (बीज प्रदायकर्ता के लिए अनुज्ञप्ति)	₹25000 / –
	नवीकरण	₹25000 / –
2.	सीसी–2 (कृषक अनुज्ञप्ति) अर्थात्: भांग की खेती (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) हेतू और चिकित्सा एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों हेतु वार्षिक अनुज्ञप्ति	₹1,00,000 / – प्रति बीघा
	चिकित्सा एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों हेतु कृषको की अनुज्ञप्ति के लिए नवीकरण वार्षिक अनुज्ञप्ति	₹1,00,000 / – प्रति बीघा
3.	सीसी–4 भांग (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के भाण्डागार हेतु अनुज्ञप्ति	₹10,000 / –
4.	सीसी–एम (विनिर्माण अनुज्ञप्ति) अर्थात चिकित्सा एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों हेतु भांग (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के प्रसंस्करण / विनिर्माण के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति	₹1,00,00,000 / –
	नवीकरण	₹ 1,00,00,000 / –
	सीसी–एम सी–2 (विनिर्माता की कृषक अनुज्ञप्ति) अर्थात्: भांग की खेती (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) हेतु चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति	₹1,00,000 / – प्रति बीघा
	नवीकरण	₹1,00,000 / – प्रति बीघा
	सीसी–एमसी–4, भांग के (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) भाण्डागार हेतु अनुज्ञप्ति	₹10,000 / –
5.	सीसी–आर, भांग (चरस एवं गांजा को अपवर्जित करके) के अनुसंधान और विश्लेषणात्मक परीक्षण हेतु अनुज्ञप्ति	₹1,00,000 / –
6.	सीसी–टी, कटाई की गई कैनबिस (भांग) के अनुज्ञप्ति में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए परिवहन हेतु अनुज्ञप्ति	₹2,000 / –

प्ररूप सीसी–एस 1

(नियम 29(2) देखें)

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन बीजों का क्रय, भण्डारण एवं आपूर्ति प्रदाय हेतु प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता की अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पत्र।

सेवा में

नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला ....

सत्यापित फोटोग्राफ चिपकाए

महोदय / महोदया,

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी नियम, 1989 के अधीन कैनबिस बीजों के क्रय, भण्डारण एवं आपूर्ति प्रदाय हेतु प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता की अनुज्ञप्ति।

1. आवेदक का नाम..
2. पिता का नाम...
3. स्थायी पता...
4. प्रस्तावित दुकान का पता...
5. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दायर किया जाएगा कि उसे किसी अजामानतीय अपराध के अधीन अभियोजित किया गया है न ही उसके विरूद्ध विधि न्यायालय में कोई मामला लम्बित है या निगमित निकाय इसके कोई निदेशक या भागीदार किसी अपराध, जिसमें नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, रिश्वत, धोखाधड़ी, शक्तियों या कृत्यों के दुरूपयोग, प्रभावयुक्त व्यापार अन्तर्वर्लित हो, दोष सिद्ध नही ठहराया गया हो, अथवा कि आवेदक ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 आवेदन करने की तारीख से पश्चात् वर्गीकरण वर्षो के दौरान किए गए अपराध के लिए दोषसिद्ध नही ठहराया गया है। यदि कोई व्यक्ति या निदेशक अथवा नियमित निकाय का निदेशक या भागीदार नियमित रूप से पुर्ननिवेशन के किसी शासकीय कार्यक्रम में लगा हुआ हो तो यह उपबन्ध लागू नही होगा।

स्थान...

हस्ताक्षर...

नाम...

पता...

तारीख...

मोबाइल नम्बर..

प्ररूप सीसी—1

(नियम 29 देखें)

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियमों, 1989 के अधीन चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन ।

सेवा में,

नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला ....

सत्यापित फोटोग्राफ चिपकाए

महोदय / महोदया,

कृपया हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी नियम, 1989 के अधीन कैनबिस की खेती के लिए, अनुज्ञप्ति जारी करें।

1. आवेदक का नाम...
2. पिता का नाम..
3. पता...
4. भूमि के ब्यौरे जहां पर कैनबिस की खेती की जानी है...
5. खसरा एव खतौनी संख्या...
6. जीपीएस निर्देशांक के सहित भूमि का क्षेत्र...
7. गोदाम के ब्यौरे..
8. अनुज्ञप्ति फीस का ब्यौरा......................रूपये का (कोष संख्या) और हिम एवं जी.आर.एल.संख्या........
9. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दायर किया जाएगा कि उसे ना तो किसी अजामानतीय अपराध के अधीन अनियोजित किया गया हो न ही उसके विरूद्ध विधि न्यायालय में कोई मामला लम्बित है तथा इस आशय का भी कि आवेदक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपज / उपोत्पादों की खेती करने और निपटान करने हेतु एकल रूप से उत्तरदायी होगा।

स्थान...

हस्ताक्षर...

नाम...

.

पता..

तारीख...

मोबाइल नम्बर..

प्ररूप सीसी–3

(नियम 29 (9) देखें)

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस (भांग) (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) के भाण्डागार के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

सेवा में

नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला

अनुप्रमाणित फोटाग्राफ चिपकाए

श्रीमान / श्रीमती,

कृपया उपरोक्त नियमों के अधीन कैनबिस के गोदाम के लिए अनुज्ञप्ति जारी करें।

1. आवेदक का नाम...
2. पिता का नाम...
3. पता...
4. भाण्डागार के ब्यौरे जहां पर कैनबिस भण्डारित किया जाना है
5. जीपीस निर्देशांक के सहित भूमि का क्षेत्र
6. ....रूपये की अनुज्ञाप्ति फीस का ब्यौरा (कोष संख्या तारीख और हिम एवं जी.आर.एन. संख्या................
7. खेतीहर के अनुज्ञाप्ति के ब्यौरे (अनुज्ञाप्ति संख्या और तारीख जब जारी किया गया)

आवेदक द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा कि उसे किसी अजमानतीय अपराध के अधीन न तो अभियोजित किया गया हो न ही उसके विरूद्ध विधिक न्यायालय मे कोई मामला लम्बित है तथा इस आशय का भी कि आवेदक स्वापक आषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और पूर्वोक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपज / उपोत्पादों की खेती करने और निपटान करने हेतु एकल रूप से उतरदायी होगा।

स्थान...

हस्ताक्षर...

नाम...

पता..

तारीख..

मोबाइल नम्बर..

प्ररूप सीसी–एमसी–1

(नियम 3 क देखें)

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के अधीन विनिर्माण इकाई को चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) की खेती के लिए अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन।

सेवा में

नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला ....

सत्यापित फोटोग्राफ चिपकाए

महोदय / महोदया,

कृपया हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी नियम, 1989 के अधीन कैनबिस (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) की खेती के लिए अनुज्ञप्ति जारी करें।

1. आवेदक का नाम...
2. पिता का नाम...
3. पता...
4. भूमि का ब्यौरा जिस पर कैनबिस की खेती की जानी है...
5. खसरा एव खतौनी संख्या...
6. जीपीएस निर्देशांक के सहित भूमि का क्षेत्र...
7. भाण्डागार के ब्यौरे...
8. अनुज्ञप्ति फीस का ब्यौरा...........................रूपये (कोष संख्या) और हिम एवं जी.आर.एल. संख्या ....
9. आवेदक द्वारा शपथ पत्र दायर किया जाएगा उसे ना तो किसी अजमानतीय अपराध के अधीन अभियोजित किया गया है न ही उसके विरूद्ध किसी विधि न्यायालय में कोई मामला लम्बित है तथा इस आशय का भी कि आवेदक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपज / उपोत्पादों की खेती करने और निपटान करने हेतु एकल रूप से उत्तरदायी होगा।

स्थान...

हस्ताक्षर..

नाम..

पता..

तारीख...

मोबाइल नम्बर..

प्ररूप सीसी–एमसी–3

(नियम 30 क देखें)

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 विनिर्माण इकाई से चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कैनबिस (चरस और गांजा को अपवर्जित करके) के भाण्डागार के लिए अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन।

सेवा में

नोडल अधिकारी
कृषि विभाग
जिला नाम................................

सत्यापित फोटोग्राफ चिपकाए

महोदय／महोदया,

कृपया उपरोक्त नियमों के अधीन कैनबिस के गोदाम के लिए अनुज्ञप्ति जारी करें।

1. आवेदक का नाम..
2. पिता का नाम..
3. पता...
4. भाण्डागार के ब्यौरे जहां पर कैनबिस भण्डारित किया जाना है
5. जीपीस निर्देशांक के सहित भूमि का क्षेत्र
6. ....रूपये की अनुज्ञाप्ति फीस का ब्यौरा (कोष संख्या तारीख और हिम एवं जी.आर.एन. संख्या................
7. खेतीहर के अनुज्ञाप्ति के ब्यौरे (अनुज्ञाप्ति संख्या और तारीख जब जारी किया गया)

आवेदक द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा कि उसे किसी अजमानतीय अपराध के अधीन न तो अभियोजित किया गया हो न ही उसके विरूद्ध विधिक न्यायालय मे कोई मामला लम्बित है तथा इस आशय का भी कि आवेदक स्वापक आषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और पूर्वोक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपज ／ उपोत्पादों की खेती करने और निपटान करने हेतु एकल रूप से उतरदायी होगा।

स्थान..

हस्ताक्षर..

नाम...

पता...

तारीख.. मोबाइल नम्बर..

सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English Text of this Department Notification Number EXN-F-(10)-8/2021-Vol-II Dated 20th August, 2026 as required under article 348(3) of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF STATE TAXES AND EXCISE

No. EXN-F-(10)-8/2021-Vol-II Shimla-2, the 20th August, 2026.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 10 read with section 78 of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act No 61 of 1985), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 notified vide this department's notification No. EXN-14-7/75-Pt-II, Dated 1st June, 1989 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 30th December, 1989, namely:-

1. Short title, extent and commencement- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) These rules shall extend to the whole State of Himachal Pradesh.

(3) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Rule 2:- In rule 2 of the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), for clause (4-A), the following shall be substituted, namely:—

"(4-A) "Nodal Officer" means any officer of the Department of Agriculture not below the rank of Agriculture Development Officer (ADO) of the concerned Block notified by the Department of Agriculture".

3. Amendment of rule 29:- In rule 29 of the said rules,-

(a) for sub-rule (1), following shall be substituted, namely:-

"(1) For cultivation of cannabis for medical and scientific purpose or cannabis for industrial purpose, the seeds shall be procured by the licensed entity for cultivation including Manufacturing unit licensed for cultivation, and entity licensed for research and analytical testing, from authorized seed supplier who shall arrange the seeds locally (indigenously) or within the State or from other States or import seeds from outside India, subject to the fulfilment of the condition that the seeds imported from other States and the seeds procured within the State (including local/indigenous seeds) or seeds imported from outside India, the authorized seed supplier at the time of supply of seeds to the entity licensed for cultivation of Cannabis (license in form CC-2,CH-2,CC-MC-2, CH-MC-2, CC-R and CH-R) shall provide the following certificates/ documents to the purchaser:

(i) In case seeds arranged locally (indigenously) or within the State or from other States, the authorized seed supplier shall provide documents pertaining to the purchase of the seeds including a certificate of analysis issued from the NABL lab or any other Government authorized lab specifying the strength and concentration of cannabinoids (including type of seed (Cannabis), Feminized or otherwise), range of cannabinoid profiles, including variable levels of THC and CBD.

(ii) In case of import of seeds from outside India, the authorized seed supplier shall provide documents pertaining to the import of the seeds including seed analysis report/ certificate issued from the authorized Laboratory (NABL or any other Government authorized laboratory) specifying the strength and concentration of cannabinoids (including type of seed (Cannabis), Feminized or otherwise), range of cannabinoid profiles, including variable levels of THC and CBD and Phyto-sanitary certificate verified by National Plant Protection

Organization of exporting country or any other certificates as prescribed by Government of India from time to time.

The Cultivator Licensee shall furnish to the Nodal Officer of the Department of Agriculture, atleast 21 days prior to the cultivation of those seeds, documents pertaining to the purchase of the seeds as provided by the concerned authorized seeds supplier, including the aforementioned certificates/ seed analysis report (as applicable).

(b) In sub rule (2), for 2nd proviso", the following shall be substituted, namely.- "Provided further that the Authorized Seed Supplier holding license in form CC- S shall store in his premises only those seeds in respect of which the certificate of analysis has been obtained from the Authorized Laboratory. The Authorized Seed Supplier will ensure that the seeds imported locally or within the State or within the Country or from outside India are clearly classified, segregated and stored separately based on seed type i.e. Industrial or medical use, feminized or otherwise. Further, at the time of purchase of seeds, the authorized seed supplier shall mandatorily issue certificate of analysis pertaining to quality of seeds sold to the purchaser";

(c) In sub rule (3), for clause (a)", following shall be substituted,- "(a) The area/areas for cultivation of cannabis for medical and scientific purpose shall be the area of entire State of Himachal Pradesh. This area shall be restricted to a compact and geographically contiguous area for better monitoring. Any person intending to obtain license for cultivation under these rules in the State of Himachal Pradesh, may apply to the concerned Nodal Officer in form CC-1 for cultivation of cannabis for medical or scientific purpose who shall forward the application along with recommendations to concerned District Excise Officer who shall further forward the application along with recommendation to the concerned Collector (Excise). The Collector (Excise) shall, on receipt of

application and recommendations from the District Excise Officer, grant the license for cultivation of cannabis for medical & scientific purpose in form CC-2 on payment of such license fee as specified in Schedule-I appended to these rules subject to the fulfillment of following conditions:-

(i) The landholding proposed for cultivation individually or collectively shall not be less than five bighas in a geographically contiguous area. The limit of minimum area shall not apply to Government Departments and research institutes/ universities;

(ii) The applicant shall submit a self-certified undertaking confirming the accuracy of the land measurement and the location of the land holding proposed for cultivation. In case of any discrepancy, the applicant's license shall be cancelled immediately.

(iii) The applicant shall submit copy of the purchase agreement with the manufacturer alongwith application for cultivator license. This agreement is required to safeguard the interest of cultivator and to ensure that a buy-back mechanism shall be in place beforehand so that the crop grown by the Cultivator mandatorily be purchased by the manufacturer. No stand-alone license shall be issued to the cultivator. Both the cultivator and manufacture licensee shall be jointly responsible for their activities/ operations. In case of any deviation from the terms and condition of the Cannabis rules, license shall be cancelled alongwith appropriate action as per the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 and rules thereof.

(iv) the applicant shall submit the plan of the landholding alongwith its Global Positioning System (GPS) co-ordinates, Geo Tagging, designated area for warehouse alongwith the application;

(v) the applicant shall have a warehouse in place prior to start of harvest cycle for storage of the harvest of the cannabis sown under

the provisions of these rules, which satisfies the security measures as specified under these rules; and

(vi) The cultivation facility to be maintained by the licensed cultivator needs to be of international standards including Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for uniform standardization, safe and sustainable cultivation, harvesting and post harvest handling of cannabis plants/raw material of Cannabis for medical and scientific purposes."

4. Amendment of Rule 30 (A):- In rule 30 (A) of the said rules.-

(a) in sub rule (1), for clause (j), following shall be substituted, namely:-

"(j) Minimum capital investment required for setting up of cultivation (whether opted or not for cultivation license), processing, manufacturing & packaging unit etc (i.e. total capital investment) in the State shall be Rs. 100 Crore."

(b) In sub rule (1), after clause (m), following sub clause (n) shall be inserted, namely.-

"(n) The Manufacturing licensee shall maintain international regulatory standards like Good Distribution Practice (GDP) and Good Manufacturing Practice (GMP) for uniform standardization and to ensure that the medicines and medical products manufactured through Cannabis for medical and scientific purposes are safely produced, stored and transported without losing their quality or purity".

(c) In sub rule (2):-

(i) for the words "shall be notified by the State Taxes and Excise Department", the words "shall be the area of entire State of Himachal Pradesh", shall be substituted;

(ii) for the words " in the notified areas may apply to the concerned district Nodal Officer" the words, "in the State of Himachal Pradesh, may apply to the concerned Nodal Officer" shall be substituted.

(iii) in clause (a)", for the words "three acres", the words "five bighas" shall be substituted.

(iv) after clause (a) following sub clause (i), shall be inserted, namely.-

" (i) The cultivation facility to be maintained by the licensed cultivator needs to be of international standards including Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for uniform standardization, safe and sustainable cultivation, harvesting and post harvest handling of cannabis plants/raw material of cannabis for medical and scientific purposes"

(d) in sub rule (5), for clause (d) following shall be substituted, namely:-

"(d) The area/areas for cultivation of cannabis for medical and scientific purpose for research and analytical testing shall be the area of entire State of Himachal Pradesh. The area shall be restricted to a compact and geographically contiguous area for better monitoring. The cultivation of cannabis shall be strictly in the licensed premises only."

5. Amendment in rule 34(C):- In rule 34(C) of the said rules,- in sub rule (b)", for the word, "manforce", the word, "manpower" shall be substituted.

6. Amendment in Schedule-I:- In Schedule-I.-

(a) in serial no. 2, in column no. 3, for the figures "3,00,000", the figures "1,00,000" shall be substituted.

(b) in serial no. 4", in column no. 3, for the figures, "2,00,00,000", the figures "1,00,00,000", and for the figures, "10,00,000", the figures, "1,00,000" shall be substituted.

7. Amendment of Form:- In Forms, CC-S1, CC-1, CC-3, CC-MC-1, CC-MC-3 appended to these rules, for the words "District Nodal Officer of the Department Agriculture of concerned District", the words "Nodal officer of the department of Agriculture" shall be substituted.

"Schedule –I"

Sr. No.	Type of License	Fees
1.	CC-S (License for seed supplier)	Rs. 25,000/-
	Renewal	Rs. 25,000/-
2.	**CC-2 (Cultivators License)** i.e. annual license for cannabis cultivation **(excluding charas & ganja)** for Medical and Scientific Purposes	Rs 1,00,000/- per bigha
	Renewal Fees for cultivators License for Medical and Scientific Purposes	Rs. 1,00,000/- per bigha
3.	CC-4 (License for warehousing of Cannabis**(excluding charas & ganja)**)	Rs. 10,000/-
4.	**CC-M (Manufacturing License)** i.e. annual License for Processing/ Manufacturing of Cannabis **(excluding charas & ganja)** for medical and Scientific purpose.	Rs. 1,00,00,000/-
	Renewal	Rs. 1,00,00,000/-
	CC-MC-2 (Manufacturer Cultivation License) i.e. annual license for cannabis cultivation **(excluding charas & ganja)** for Medical and Scientific Purposes	Rs.1,00,000/- per bigha
	Renewal	Rs.1,00,000/- per bigha
	CC-MC-4 (License for warehousing of Cannabis **(excluding charas & ganja)**)	Rs.10,000/-
5.	CC-R (License for Research and Analytical Testing of Cannabis **(excluding Charas & ganja)**	Rs. 1,00,000/-
6.	CC-T (Transport permit of harvested cannabis for medical and scientific purpose as specified in the permit)	Rs. 2000/-

"Form CC-S1"
(See rule 29(2))

Application for granting license of authorized supplier of cannabis seeds for purchase, storage and supply of cannabis seeds under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Rules, 1989.

To

The Nodal Officer,
Department of Agriculture
District Name____________

Attested Photograph

Sir/Madam

Kindly issue license of authorized supplier of cannabis seeds for purchase, storage and supply of cannabis seeds under Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.

1. Name of Applicant........................
2. Father's name ………………………………………
3. Permanent Address **………………………………...**
4. Address of proposed shop ………………………….
5. Affidavit to be filed by the applicant that he has not been convicted, or in case of body corporate, any of its Directors or partners have not been convicted of any offence involving moral turpitude, corruption, bribery, embezzlement, abuse of power or of functions, trading in influence, or any offence under the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 during the previous 10 years from the date of application. This provision shall not apply if the person, or the Director or partner of the body corporate, is regularly engaged in a governmental program of reinsertion;

Place:- **Signature:-**
Date:- **Name:-**
Address:-
Mobile No:-

"Form CC-1"
(See rule 29)

Application for license for cultivation of cannabis (excluding charas & ganja) under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 for medical or scientific purposes.

To

The Nodal Officer,

Department of Agriculture

District Name____________

Attested Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for cultivation of cannabis under **Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.**

1. Name of Applicant............................
2. Father's name.......................
3. Address.........................
4. Detail of Land on which cannabis is to be cultivated ………………….
5. Khasra and Khatauni No.............................
6. Area of Land alongwith GPS Coordinates.......................
7. Detail of warehouse........................
8. Detail of license fee of Rs ………………………….(Tr No, date and HIMGRN No)..............................
9. Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any case is pending against him in any Court of law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce/ by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules made thereunder.

Place:-	**Signature:-**
Date:-	**Name:-**
	Address:-
	Mobile No:-

Form CC-3
[See rule 29(9)]

Application for license for warehousing of cannabis (<u>excluding charas & ganja</u>) under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 for medical or scientific purposes.

To

The Nodal Officer,

Department of Agriculture

District Name____________

Attested Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for warehousing of cannabis under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.

1. Name of Applicant...................
2. Father's name………………..
3. Address …………………
4. Detail of warehouse in which cannabis is to be stored……………..
5. Area of Land alongwith GPS Coordinates........................
6. Detail of license fee of Rs................../- (Tr No, date and HIMGRN No. …………………..
7. Detail of Cultivator license (License No and Date on which issued).................

    Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non- bailable offence nor any case is pending against him in any Court of Law and also to the affect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce / by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 and rules ibid.

Place:- **Signature:-**

Date:- **Name:-**

Address:-

Mobile No:-

Form CC-MC-1
(See rule 30-A)

Application for license for cultivation of cannabis (excluding charas& ganja)under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 to manufacturing unit for medical or scientific purposes.

To

The Nodal Officer,

Department of Agriculture

District Name____________

Attested Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for cultivation of cannabis under **Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.**

1. Name of Applicant............................
2. Father's name.......................
3. Address.........................
4. Detail of Land on which cannabis is to be cultivated ………………….
5. Khasra and Khatauni No.............................
6. Area of Land alongwith GPS Coordinates ....
7. Detail of warehouse........................
8. Detail of license fee of Rs ………………………….(Tr No, date and HIMGRN No)..............................
9. Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non-bailable offence nor any case is pending against him in any Court of law and also to the effect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce/ by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the rules made thereunder.

Place:- **Signature:-**

Date:- **Name:-**

Address:-

Mobile No:-

Form CC-MC-3

(See rule 30A)

Application for license for warehousing of cannabis (<u>excluding charas& ganja</u>) under the Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989 to manufacturing unit for medical or scientific purposes.

To

The Nodal Officer,

Department of Agriculture

District Name____________

Attested Photograph

Sir/Madam,

Kindly issue license for warehousing of cannabis under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1989.

1. Name of Applicant...................
2. Father's name………………..
3. Address …………………
4. Detail of warehouse in which cannabis is to be stored……………..
5. Area of Land alongwith GPS Coordinates........................
6. Detail of license fee of Rs................../- (Tr No, date and HIMGRN No. …………………..
7. Detail of Cultivator license (License No and Date on which issued).................

Affidavit to be filed by the applicant that he or she has neither been prosecuted under any non- bailable offence nor any case is pending against him in any Court of Law and also to the affect that the applicant shall be solely responsible to cultivate and dispose off the produce / by products as per the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 and rules ibid.

Place:-

Date:-

Signature:-

Name:-

Address:-

Mobile No:-

By Order
Secretary (State Taxes and Excise) to the
Government of Himachal Pradesh.